न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राज0)

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
14/02/2016	30–08–2016	24–10–2019

1– मदनलाल पुत्र स्व0 श्री मामचंद
2– निर्मला पुत्री स्व0 श्री मामचंद
3– शकुन्तला पुत्री स्व0 श्री मामचंद
4– माया पुत्री स्व0 श्री मामचंद
5– मूर्ति देवी पत्नी स्व0 श्री मामचंद जातियान जाट निवासीयान ग्राम सीलगॉव, तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।

–अपीलान्ट्स

बनाम

1– सूरज प्रकाश पुत्र स्व0 कपूर सिंह
2– सुनिता पत्नी स्व0 कपूर सिंह जातियान जाट निवासीयान बहरामपुर भडगी, तहसील बावल हरियाणा हाल निवासी ग्राम सीलगॉव, तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।
3– उपजिलाधीश कम मैनेजिंग ऑफिसर, मुण्डावर, अलवर।

–असल रेस्पाडेन्ट्स

4– सुरेश देवी पत्नी श्री रणधीर जाट
5– गजेन्द्र पुत्र श्री रणधीर जाट
6– शीला पुत्री रणधीर जाट जातियान जाट निवासीयान ग्राम सीलगॉव, तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।

–तरतीबी रेस्पाडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी कम मैनेजिंग ऑफिसर मुण्डावर का निर्णय सनद् पट्टा/पुनर्वास/2016/213 दिनांक 22.04.2016

उपस्थितः–

01. श्री जनार्दन शर्मा –वकील रैस्पॉडेन्ट्स

––:: निर्णय ::––

अपीलान्ट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी कम मैनेजिंग ऑफिसर मुण्डावर का निर्णय सनद् पट्टा/पुनर्वास/2016/213 दिनांक 22.04.2016 जिसके द्वारा रैस्पो0 सं0 1 व 2 के नाम फर्जी एवं नुमायशी कुट रचित इकरारनामा बय के आधार पर सनद पट्टा जारी किया गया है, से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया।

विद्वान वकील अपीलान्ट उपस्थित नहीं। अपील के तथ्य इस प्रकार है कि विवादित आराजी के गैर खातेदार काबिज काश्तकार मामचंद पुत्र भण्डूराम जाट 5/6 व रणधीर जाट 1/6 हिस्सा निवासी सीलगांव तहसील मुण्डावर जिला अलवर के काश्त करते चले आ रहे है तथा उनकी मृत्यु के बाद उनके विधिक वारिस अपीलांट्स व तरतीबी रैस्पो0 निरंतर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। उक्तानुसार भी राजस्व रिकार्ड

अतिरिक्त जिला कलेक्टर (द्वितीय) अलवर (राज0)

में उनके नाम का अंकन चला आ रहा है। विवादित आराजी में से रैस्पो0 सं. 1 व 2 के द्वारा फर्जी इकरारनामा अपीलांट के पिता मृतक मामचंद के नाम से खरीद कर अपने मृतक पिता कपूरसिंह के नाम से तैयार करवाकर तथा उक्त इकरारनामे के आधार पर विवादित आराजी 0.50 है0 का सनद पट्टा उपखण्ड अधिकारी कम मैनेजिंग ऑफिसर मुण्डावर द्वारा मौके एवं रिकॉर्ड के खिलाफ अपीलांट को सूचित किये बिना ही जारी कर दिया गया तथा 0.06 ऐयर आराजी के संबंध में यह कहां गया कि उक्त भाग गैर मुमकिन नदी में है। जबकि उक्त वर्णित खसरा नम्बर 107 में अपीलांट् का 5/6 भाग का गैर खातेदार काश्तकार जबकि रैस्पो0 1 व 2 ने उक्त आराजी का सालिम भाग का ही इकरारनामा अपने बुजुर्ग कपूरसिंह के पक्ष में तैयार कर लिया। उक्त सनद् पट्टा देते समय पीठासीन अधिकारी द्वारा निहित प्रक्रिया व शर्तों का पालन नहीं किया गया तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत की अवहेलना करते हुए पट्टा जारी कर दिया गया। अतः अपील अपीलांट्स पेश कर निवेदन है कि अपील स्वीकार फरमायी जाकर उपखण्ड अधिकारी, मुण्डावर जिला अलवर का निर्णय सनद् पट्टा सं. 2016/213 दिनांक 22.04.2016 निरस्त फरमाया जावें।

वकील रैस्पॉडेन्ट द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया कि उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर का निर्णय न्यायालय हाजा में नहीं सुना जा सकता। न्याया0 हाजा के क्षेत्राधिकार में नहीं है। विवादित आराजी उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर द्वारा अपीलांट का आवंटन की गई है। विवादित आराजी की कीमत जमा करवाकर आवंटन कराया गया है। वकील अपीलांट द्वारा भी नो इंस्ट्रक्शन किया गया है तथा न्यायालय से सूचना भेजी जाने एवं सूचना की तामील होने के बाद भी अपीलांट न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ है। अतः अपील अपीलांट्स् खारिज फरमायी जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं वकील रैस्पो0 की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वकील अपीलांट द्वारा अपीलांट्स की पैरवी नहीं करने हेतु दिनांक 19.09.2017 की आदेशिका पर "No Instruction Plead From Applealants" की गयी। न्यायालय हाजा द्वारा अपीलांट्स को जरिये कोर्ट नोटिस तलब किया गया। तामीली रिपोर्ट के अवलोकन से पाया गया कि अपीलांट की तामील हो चुकी है। अपीलांट बावजूद तामील भी उपस्थित नहीं आयें। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट खारिज किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील लेख भंडार हो।

निर्णय आज दिनांक 24–10–2019 को अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

24-10-19

(भगवत सिंह देवल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राजस्थान)